प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 30.05.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 30.05.2026 को निम्न अभियोग में सजा करायी गयी है।

थाना- फ्रेंड्स कालोनी

- **नारी सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति इटावा पुलिस की प्रतिबद्धता: POCSO Act के गंभीर मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा।**
- **महिलाओं एवं बच्चियों के विरुद्ध अपराध करने वालों पर लगातार सख्त प्रहार: इटावा पुलिस द्वारा #OperationConviction के तहत प्रभावी विवेचना एवं सशक्त पैरवी कर अभियुक्त को कठोर दण्ड दिलाया गया।**
- **इटावा पुलिस की सुदृढ़ विवेचना एवं अभियोजन की समन्वित कार्यवाही के परिणामस्वरूप मा0 न्याया0 द्वारा नाबालिग बालिका से दुष्कर्म कारित करने वाले 01 अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 65,000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना फ्रे0कालोनी पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0 एडीजे/टीआरसी (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा 01 अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

थाना फ्रेंड्स कालोनी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर पर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर दिनांक **16.09.2019** को **मु0अ0सं0 611/2019 धारा 363/366/376 भादवि व 5 J(II)/6 पोक्सो** एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री रामबली सिंह यादव** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस द्वारा पीडिता/बालिका की उचित काउन्सलिंग करायी गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस टीम, पैरोकार हे0का0 अजीत प्रताप सिह व मानीटरिंग सेल टीम व एडीजीसी श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 30.05.2026 को अन्तर्गत धारा **363/366/376 भादवि व 5 J(II)/6 में मा0 न्याया0 एडीजे/टीआरसी (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त मोहित पुत्र रामप्रकाश को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 65,000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. मोहित पुत्र रामप्रकाश निवासी बिजौली थाना बकेवर जनपद इटावा।

"इटावा पुलिस जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में त्वरित जांच और कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 'ऑपरेशन कन्विक्शन' और 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा ताकि समाज में भयमुक्त वातावरण बना रहे।"